मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 12/2020 वाद

1. प्रकाश पिता किशनदास जाति कामड़, आयु वयस्क, निवासी महमुदगंज, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
2. नटवर पिता किशनदास कामड, आयु वयस्क, निवासी महमुदगंज, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
3. भवगती बाई पुत्री किशनदास कामड, आयु वयस्क, निवासी महमुदगंज, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
4. सीता पुत्री किशनदास कामड, आयु वयस्क, निवासी महमुदगंज, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
5. शान्ति पुत्री किशनदास कामड, आयु वयस्क, निवासी महमुदगंज, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
6. अंजु पुत्री किशनदास कामड, आयु वयस्क, निवासी महमुदगंज, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– वादीगण

//बनाम//

4. किशनदास पिता तुलीदास उर्फ तोलीराम, जाति कामड, आयु वयस्क, निवासी महमुदगंज, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
5. मोहनी बाई पत्नी रामदास कामड, आयु वयस्क, निवासी महमुदगंज, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

<u>दावा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 53 रा.का.अधि.</u>

प्रकरण में दिनांक 17.03.2020 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार निम्बाहेड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया गया तथा राजीनामें अनुसार फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/टीआरए/20/77, दिनांक 14.07.2020 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादीगण [illegible] डिक्री किया जाता है। ग्राम महादेवपुरा (महमुदगंज) की खाता संख्या 28 की आराजी[illegible] का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है–

1– प्रकाश, नटवर, भगवती बाई, सीता, शान्ती, अन्जु पिता किशनदास कामड़, निवासी महादेवपुरा के रहेगीः–

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
384 उत्तर पूर्व	0.6400	12.16

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 [illegible]:24:52 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2– किशनदास पिता तोलीदास उर्फ तोलीराम कामड़, सा. महादेवपुरा के रहेगी–

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
384 मध्य	0.1100	2.09

3– मु. मोहनी बाई पत्नी स्व. रामदास कामड़ के रहेगी:–

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
384 दक्षिण	0.7600	14.44

इसी प्रकार आराजी नं. 383 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे.मु. चाह बदस्तुर शामलाती रहेगी।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 05.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:24:52 IST
Reason: SelfAttested